समुद्र मंथन योजना का मकसद अदाणी समूह को फायदा पहुंचाना है : कांग्रेस

नई दिल्ली, (भाषा)। कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार की समुद्र मंथन योजना अडाणी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए शुरू की गई है।

मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि इस योजना को रद्द किया जाए या इसके लिए आवंटित पूरी राशि सरकारी क्षेत्र की ऊर्जा कंपनी ओएनजीसी को हस्तांतरित कर रोजगार सृजन एवं तेल-गैस की खोज में इस्तेमाल की जाए।

सरकार या अडाणी समूह की ओर से कांग्रेस के आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कांग्रेस प्रवक्ता शक्तिसिंह गोहिल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दी और इसके पहले चरण के लिए 84,084 करोड़ रुपये का बड़ा आवंटन किया। उन्होंने आरोप लगाया, नरेन्द्र मोदी सरकार ने ऐसा ढांचा तैयार किया है, जिसके तहत समुद्र मंथन योजना के माध्यम से अडाणी को सहायता दी जाएगी। गोहिल ने आरोप लगाया कि समुद्र मंथन योजना गौतम अडाणी और वेल्सपन समूह की संयुक्त कंपनी एडब्ल्यूईएल को सुविधा देने के लिए है। उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सरकार 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता देगी। गोहिल के अनुसार, सरकार ने स्वीकार किया है कि इस योजना की शुरुआत हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में खोज के जोखिम को कम करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। उन्होंने कहा, सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस योजना को गौतम अडाणी को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि यह योजना विशेष रूप से अडाणी समूह को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि अडाणी की, इस संयुक्त कंपनी में 65 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसे उन्होंने 2005 में खरीदा था, जबकि शेष 35 प्रतिशत हिस्सेदारी वेल्सपन समूह के पास है। गोहिल का कहना है कि तेल की खोज बेहद महंगा कारोबार है और औसतन एक गहरे समुद्र के कुएं की खोज में ही 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आती है। उन्होंने दावा किया कि अब एडब्ल्यूईएल केंद्र सरकार के धन और पाइपलाइन सहित सभी सरकारी संसाधनों तक पहुंच के साथ अपनी कारोबारी गतिविधियां शुरू कर सकती है। गोहिल ने सवाल किया, इस राष्ट्रीय मिशन में ओएनजीसी को प्राथमिक भूमिका क्यों नहीं दी जा रही है? मोदी सरकार एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी ही ओएनजीसी के हितों को क्यों नुकसान पहुंचा रही है, जिसके पास तेल खोज का दशकों का अनुभव है? विपक्षी दल के नेता ने कहा, हम मांग करते हैं कि समुद्र मंथन योजना को रद्द किया जाए या 84,084 करोड़ रुपये की पूरी राशि सरकार की अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा कंपनी ओएनजीसी को हस्तांतरित की जाए, ताकि रोजगार पैदा किए जा सकें और खोज गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके।

दिल्ली में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सभी एजेंसियों के बीच समन्वय जरूरी : उपराज्यपाल संधू

नई दिल्ली, (भाषा)। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने सोमवार को शहर की यातायात पुलिस के कामकाज की समीक्षा की और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर यातायात को सुचारू बनाने तथा जाम वाले स्थानों का पहले से प्रबंधन सुनिश्चित करें। उपराज्यपाल के आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा की गई एक पोस्ट के अनुसार, उन्होंने टोडापुर स्थित यातायात पुलिस के मुख्यालय में दिल्ली यातायात पुलिस के कामकाज की समीक्षा की और सड़क अनुशासन के सख्त अनुपालन की आवश्यकता पर बल दिया।

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड : न्यायालय ने क्लब मालिकों की जमानत रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा

नई दिल्ली, (भाषा)। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के मामले में तीन आरोपियों को दी गयी जमानत रद्द कर दी गयी थी।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने उच्च न्यायालय के 18 अगस्त के आदेश को बरकरार रखा और सौरव लूथरा, गौरव लूथरा तथा अजय गुप्ता की ओर से दायर कई याचिकाओं को खारिज कर दिया। ये तीनों उत्तरी गोवा के अरपोरा इलाके में स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के मालिक हैं, जहां पिछले साल छह दिसंबर को लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गयी थी और 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे। शीर्ष न्यायालय ने तीनों को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया और निचली अदालत को भी आरोप तय करने की प्रक्रिया में तेजी लाकर मामले की सुनवाई जल्द पूरी करने का निर्देश दिया। लूथरा बंधुओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक एम. सिंघवी और सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि यह मामला जानबूझकर किए गए अपराध का नहीं बल्कि कथित लापरवाही का मामला है। दवे ने कहा कि लूथरा बंधुओं की ओर से ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया, जिसके कारण लोगों की मौत हुई। उन्होंने कहा, भादंसं की धारा 304 के भाग-2 को इस मामले में बिल्कुल भी लागू नहीं किया जा सकता। मेरी ओर से ऐसा कोई कृत्य नहीं है, जिसके कारण मौत हुई हो। अगर अभियोजन पक्ष इस मामले में आरोप साबित करना चाहता है, तो ज्यादा से ज्यादा इसे भादंसं की धारा 304ए के तहत मामला माना जा सकता है, जो लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति की मौत होने से संबंधित है। न्यायमूर्ति दत्ता ने सिंघवी से पूछा कि रेस्तरां में कितने लोगों की जान गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि मृतकों की संख्या 25 थी, लेकिन उच्च न्यायालय के चुनौती दिए गए फैसले में दो बुनियादी गलतियां हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि मामले में कई अन्य सह-आरोपियों को जमानत दी जा चुकी है। गुप्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि कारोबार में गुप्ता की केवल 10 प्रतिशत हिस्सेदारी है और घटना से उनका कोई लेना-देना नहीं है। गोवा सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू और स्थायी अधिवक्ता सुरजेंदु शंकर दास ने तीनों की याचिकाओं का विरोध किया।

राजनाथ सिंह 16 रक्षा डीपीएसयू के कामकाज की करेंगे समीक्षा

स्वदेशी तकनीक पर जोर

नई दिल्ली, (भाषा)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक सितंबर को सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) के वार्षिक कामकाज की समीक्षा करेंगे। इस दौरान नई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने के महत्व पर विशेष जोर दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा, एक मजबूत और अधिक आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र भारत को तकनीकी नेतृत्व और वैश्विक रक्षा क्षमताओं की दिशा में आगे बढ़ा रहा है।

इस कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के सात रक्षा उपक्रमों - हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई), बीईएमएल और मिधानी (एमआईडीएचएएनआई) - के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी पर प्राप्त लाभांश के चेक रक्षा मंत्री को सौंपेंगे। इस अवसर पर सिंह चार पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे। इनमें आत्मनिर्भर डीपीएसयू - आत्मनिर्भरता की दिशा में डीपीएसयू की यात्रा; दिशा- रक्षा प्रौद्योगिकियों और आधुनिक विनिर्माण प्रक्रियाओं के संबंध में विद्यार्थियों को व्यावहारिक जानकारी देने के लिए डीपीएसयू की पहल; एचएएल का आधुनिकीकरण रोडमैप तथा एचएएल का स्वदेशीकरण रोडमैप शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, वित्त वर्ष 2025-26 में डीपीएसयू का कार्य-निष्पादन सराहनीय रहा है। उनका कुल कारोबार 1.29 लाख करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों की तुलना में 15.4 प्रतिशत अधिक है। बयान में कहा गया कि वर्ष 2025-26 में डीपीएसयू ने कुल 23,136 करोड़ रुपये का कर पश्चात संचयी लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। विशेष रूप से, 2025-26 में डीपीएसयू के निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 151.2 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

युवा राहुल गांधी का मज़ाक उड़ाते हैं, उनके कार्यक्रमों में कॉन्सर्ट के लिए जाते हैं: हेमांग जोशी

नई दिल्ली, (भाषा)। भाजयुमो के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमांग जोशी ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर उनपर निशाना साधा और कहा कि युवा हिंदुत्व एवं भारतीयता के बारे में राहुल गांधी की जानकारी की गहराई पर हंसते हैं, तथा उनके कार्यक्रमों में मुख्य रूप से म्यूजिकल कॉन्सर्ट के लिए शामिल होते हैं।

गांधी ने अब तक छात्रों की गूंज अभियान के तहत चार कार्यक्रम किए हैं, जो विद्यार्थियों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित हैं। वडोदरा से भाजपा सांसद जोशी ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय के विस्तार कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला।

Public Notice

Notice is hereby given on behalf of my clients, namely Aarif Ali, Aamir Ali, Asma Jahan and Huma Jahan, all S/o/D/o Late Mr. Abid Ali and Late Smt. Afroze Begum, R/o 1577, Gali Masjid Meer Qarora, Lai Kuan, Delhi-110006, that they have severed all relations and dealings with their brother, Mr. Basharat Ali.
My clients shall have no concern, responsibility or liability for any act, transaction, debt, commitment, representation or legal proceeding undertaken by or attributable to Mr. Basharat Ali in his individual capacity. Any person dealing with him shall do so at his/her/its own risk and responsibility, and my clients shall not be held liable for any such dealings. **M.Minhal Mehdi Advocate, Delhi High Court New Delhi**

WESTERN RAILWAY-RATLAM DIVISION

Corrigendum
E-TENDER NOTICE

This Tender Has been **Cancelled** **E-Tender NIT No.:** EL-2025-26-26R2 **dated 18/08/2026 • Name of Work:** Ratlam Division: Ratlam & Indore - Provision of 06 Escalators at Platform Nos. 04 and 07 of Ratlam station and 01 No. of Escalator in the circulating area of PF-05/06 at Indore station (Electrical + Civil).• **Closing Date/Time:** 08/09/2026 at 15:00 hrs CRY/221

Like us on: facebook.com/WesternRly

In The Court of

Sh. Gautam Manan, District Judge (Comm. Court)-03, South-West District, Court No. 614, 6th Floor, Dwarka Courts, New Delhi.
(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
CS (COMM) NO-292/2026
Bank of India
Vs.
Rajbir
To,
Rajbir S/o Sh. Prahlad Singh, R/o Flat No. 166, 1st Floor, Block-B, Sector-1, Near Garima Hardware, Rohini, Delhi-110085.
Also At: House No. S-772, Block-N, Mangolpuri, Delhi-110083.
Also At: 217, Hamid Pur, Khanpur, Delhi-110036.
Working At: Municipal Corporation of Delhi, Rohini Zone, MCD, Zonal office, Room No. 107, Sector-5, Rohini, New Delhi-110085. Mob: 9667252166.
The Defendant Above Named.
Whereas you are intentionally avoiding services of summons, it is hereby notified that if you shall not defend the case on the day of **10.09.2026 at 10:00 A.M** i.e. the day fixed in the matter, it will be heard and determined ex-parte.
Given under my hand and seal of the court on this **17.08.2026.**
Seal Sd/-
District Judge (Comm. Court)-03 South-West District, Dwarka Courts, New Delhi.

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किला शशि शर्मा पत्नी स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार शर्मा निवासी डी–512, गली नं. 4, अशोक नगर, दिल्ली ने अपने पुत्र चन्द्र प्रकाश शर्मा व पुत्रवधू पूनम शर्मा को उनके दुर्व्यवहार के कारण अपनी चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सम्बन्ध विच्छेद कर लिए हैं। उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य हेतु मेरी मुवक्किला जिम्मेदार नहीं होगी। अशोक कुमार वर्मा, अधिवक्ता, चैम्बर नं. एफ–522, कड़कड़डूमा कोर्टस काम्पलेक्स, दिल्ली–110032.

Public Notice

This is to inform all concerned that my Clients Shri Tej Pal S/o Late Shri Jai Singh and Smt. Sunita Devi W/o Shri Tej Pal, Both R/o H.No. A-37, Gali No. 3, West Kamal Vihar, Karawal Nagar, Delhi-110094, have debarred their son Naveen Kumar Suraj from their all moveable and immoveable properties and severed relations due to his misbehaviour & disobedience towards my clients. Now he is not residing with my clients. Anybody deals with him in future shall do so at his/her own risk and responsibility. My clients shall not be held responsible for any of acts and deeds done by him in future. **Sanjay Kumar, advocate, Ch. No. 469, Wesern Wing, Tis Hazari Court, Delhi-110054.**

Public Notice

This is to inform the general public that my client SH. Rajender Kumar S/o Late Dharam Vir Singh R/o H. No.144A, Gali No.5, Near Krishna Bharti School, Mahalaxmi Vihar, Karawal Nagar, Delhi-110094 hereby declaring, debarring, disowned & disinherited my son Nikhil Kumar and his wife Bhawna from all the properties moveable and immovable situated Delhi or outside of Delhi because they are not under the control of my client. My client and his family members have also severed all relations social and economical with them with immediate effect. He and his family members are not responsible /liable for any act, deed and things done by the above named person. **Sanjay Gautam, Advocate, Chamber No. K-150, K-Block, Tis Hazari Courts, Delhi-110054**.

Public Notice

My clientess Usha Sethi, W/o Late Veer Abhimanyu Sethi, R/o 5-B, Pocket A-13, Kalkaji Extension, Fortview Apartment, New Delhi-110019, hereby declares that she has severed all her relations from her daughter-in-law Sumita Khanna Sethi, W/o Late Sumit Sethi, and grandson Kabir Sethi, and has disowned and debarred them from claiming any right, title, interest or share in her movable or immovable properties, assets and estate, present or future. My said daughter-in-law and her son shall have no right to represent, deal with, transfer, encumber or create any claim in respect of my clientess properties or assets. Any person dealing with them in this regard shall do so at his/her own risk and responsibility. My clientess reserves her full right to possess, manage, sell, gift, transfer, bequeath or otherwise dispose of her properties and assets during her lifetime, and her estate after her death shall devolve strictly in accordance with her valid Will and applicable law. **Jitendra Kumar Khullar, Advocate, Ch. No. D-207, Lawyers, Chamber block, Karkardooma, Courts, Delhi-110032**

LINGAYA'S LALITA DEVI INSTITUTE OF MGMT. & SC.

(Affiliated to GGSIP University & SCERT, New Delhi, Recognized by Govt. of Delhi & NCTE)
NAAC Accredited 'A+' Grade Institution
ADMISSIONS 2026-27
Applications are invited for 10% management seats. from 27.08 TO 10.09.2026
50% marks in XII for General & 45% for SC/ST/PWD candidates.
DIPLOMA IN PRE-SCHOOL EDUCATION (DPSE)
Eligible for Government and Private jobs in school.
This course is only for girls.
CAMPUS: Mandi Road, Mandi, Near Chattarpur Metro Station, New Delhi-47. Ph: 1800-257-5611 | www.lldims.edu.in

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०

कार्यालयः अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना दिनांक 01.09.2026

निविदा संख्या एवं कार्य का संक्षिप्त विवरण

ई–निविदा संख्या 24/2026–27/EDC/GZB विद्युत वितरण खण्ड–मोदीनगर के विभिन्न 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों पर समय–समय पर दोष उत्पन्न होने के कारणों से कुशल संचालन व विद्युत आपूर्ति बनाये रखने हेतु वीसीबी की मरम्मत सामग्री सहित करने सम्बन्धी कार्य। प्रपत्र शुल्कः रू.1180.00, धरोहर राशिः रू. 7,960.00

ई–निविदा संख्या 25/2026–27/EDC/GZB विद्युत वितरण खण्ड मुरादनगर के अन्तर्गत ग्राम महरौली के खसरा नं. 947 में 33 के0वी0 के 02 विद्युत पोल तथा ग्राम अलूपुर में 33 के0वी0, 11 के0वी0 एच0टी0 लाइन व पोल को पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत शिफ्ट कराने का कार्य। प्रपत्र शुल्कः रू.1180.00, धरोहर राशिः रू. 5900.00

ई–निविदा की अंतिम तिथि : 15/09/2026, 12:00 बजे

विस्तृत जानकारी एवं प्रपत्र वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। अग्रेतर समस्त सूचनाएं वेबसाईट पर ही प्रदर्शित की जाएगी।

पत्रांकः 1967 / वि.वि.मं. / गा.बाद.–2026–27 / दिनांक 31.08.2026

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

ई- निविदा सूचना (इंजीनियरिंग विभाग)

क्रम संख्या:1 • **ई-टेंडर संख्या:** RTM-2026-27-88 • **कार्य का नाम:** मेघनगर – गुड्स शेड में कवर शेड की व्यवस्था एवं सरफेस में सुधार। • **अनुमानित मात्रा:** टेंडर शेड्यूल के अनुसार • **अनुमानित लागत:** ₹13,09,46,020.44 • **बयाना राशि:** ₹26,18,900/- • **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 18 महीने • **वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि:** 27/08/2026 • **निविदा खुलने की तिथि:** 21/09/2026

क्रम संख्या:2 • **ई-टेंडर संख्या:** RTM-2026-27-89 • **कार्य का नाम:** दाहोद (DHD) – RPF बैरक, दाहोद का उन्नयन एवं नवीनीकरण। • **अनुमानित मात्रा:** टेंडर शेड्यूल के अनुसार • **अनुमानित लागत:** ₹19,97,297.99 • **बयाना राशि:** ₹40,000/- • **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 06 महीने • **वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि:** 27/08/2026 • **निविदा खुलने की तिथि:** 21/09/2026

विस्तृत निविदा सूचना: विस्तृत निविदा सूचना, पात्रता शर्तें एवं अन्य नियम और शर्तें वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध हैं। CRY/232

Like us on: facebook.com/WesternRly

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C./84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **हर्ष उर्फ मोनू उर्फ पिकाचू** पुत्र श्री राजीव चौहान, निवासी ट्रांसफॉर्मर के पास, गली नं. 14, डी–ब्लॉक, पिंक चौधरी कॉलोनी, जनता विहार, मुकुंदपुर, दिल्ली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 796/21 धारा 302/307/34 भा.द.स. और 25/27/54/59 शस्त्र अधिनियम, थाना शालीमार बाग, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **हर्ष उर्फ मोनू उर्फ पिकाचू** मिल नहीं रहा है, और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **हर्ष उर्फ मोनू उर्फ पिकाचू** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इसके खिलाफ माननीय अदालत द्वारा धारा 82 Cr. P.C. /84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कार्यवाही जारी हो चुकी है। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 796/21 धारा 302/307/34 भा.द.स. और 25/27/54/59 शस्त्र अधिनियम, थाना शालीमार बाग, दिल्ली के उक्त अभियुक्त **हर्ष उर्फ मोनू उर्फ पिकाचू** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए **12.10.2026** को या उससे पहले हाजिर हो। **आदेशानुसारः श्री मुनीश गर्ग, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश–03, (उत्तर–पश्चिम), कमरा नं. 304, तीसरा तल, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली,**

DP/12232/NW/2026

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **सन्नी, पुत्रः जय सिंह, पताः 203, गाँव निलोथी, नांगलोई, वेस्ट दिल्ली** ने **FIR No. 1748/2022, U/s 138 NI Act, पुलिस थाना पश्चिम विहार वेस्ट, दिल्ली** के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **सन्नी** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **सन्नी** फरार हो गया है (या उक्त वारंट कि तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No. 1748/2022, U/s 138 NI Act, पुलिस थाना पश्चिम विहार वेस्ट, दिल्ली** के अभियुक्त **सन्नी** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **13.10.2026** को या इससे पहले हाजिर हो। **आदेशानुसार – श्री अंशुल सिंघल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी–04, पश्चिम, कमरा नं. 268, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली**

DP/12086/OD/2026

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 84 BNSS देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **आरोपी अखिल रस्तोगी, पुत्रः** राजेन्द्र रस्तोगी **पताः** ए–92 जगदंबा कॉलोनी अम्बेडकर विहार जौहरीपुर भजनपुरा, दिल्ली **FIR No. 402/2024, U/S: 281/125B/106(1) भारतीय न्याय संहिता– 2023, थानाः आईपी स्टेट, दिल्ली**, के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **अखिल रस्तोगी**, मिल नही रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **अखिल रस्तोगी**, फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि उक्त अभियुक्त **अखिल रस्तोगी, FIR No. 402/2024, U/S: 281/125B/106(1) भारतीय न्याय संहिता–2023, थानाः आईपी स्टेट, दिल्ली**, से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **09.12.2026** को या उससे पहले हाजिर हो। **आदेशानुसार प्रीति, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी–03, कमरा नंबर 150, (वर्तमान 205, नई बिल्डिंग) तीस हजारी कोर्ट, नई दिल्ली**

DP/12127/CD/2026
(Court Matter)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C./84 BNSS देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **रमेश कुमार मौर्य, पुत्रः दुर्गा दास मौर्य, पताः ए98, इंद्र एन्क्लेव पार्ट–I, किराड़ी, दिल्ली** ने **FIR No. 294/2017, U/s 14(1) Child Labour Act, पुलिस थाना अमन विहार, दिल्ली** के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **रमेश कुमार मौर्य** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **रमेश कुमार मौर्य** फरार हो गया है (या उक्त वारंट कि तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No. 294/2017, U/s 14(1) Child Labour Act, पुलिस थाना अमन विहार, दिल्ली** के अभियुक्त **रमेश कुमार मौर्य** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **07.10.2026** को या इससे पहले हाजिर हो। **आदेशानुसार – सुश्री जसजीत कौर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश–04 (POCSO), उत्तर–पश्चिम, कमरा नं. 203, दूसरी मंजिल, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली**

DP/11990/RD/2026

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखें

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **ब्रिज राज पुत्रः** मेवा राम, **निवासः** म.नं. 39A, खसरा नं. 4/23, प्रेम विहार, नंगली डेयरी, नज़फगढ़, दिल्ली ने **FIR No. 70/2019 U/s 33/38 D.EX. Act., थानाः शाहबाद डेयरी, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **ब्रिज राज** मिल नही रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **ब्रिज राज** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No. 70/2019 U/s 33/38 D.EX. Act., थानाः शाहबाद डेयरी, दिल्ली** की उक्त अभियुक्त **ब्रिज राज** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **03.10.2026** को या इससे पहले हाजिर हो। **आदेशानुसार भारती बेनीवाल, एलडी. जेएमएफसी, कमरा नं. 114, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली**

DP/12226/ON/2026
(Court Notice)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **रोहित जैन, पुत्रः श्री बलदीप कुमार जैन, पताः 1–1/25, बुध विहार, फेज–1, रोहिणी–110085** ने **Ct Case No. 2851/2019, U/s 138 NI Act, पुलिस थाना मॉडल टाउन, दिल्ली** के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **रोहित जैन** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **रोहित जैन** फरार हो गया है (या उक्त वारंट कि तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **Ct Case No. 2851/2019, U/s 138 NI Act, पुलिस थाना मॉडल टाउन, दिल्ली** के अभियुक्त **रोहित जैन** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **12.10.2026** को या इससे पहले हाजिर हो। **आदेशानुसार – श्री आकाश शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी–03, उत्तर, कमरा नं. 213, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली**

DP/11926/NW/2026

यूनिटेक लिमिटेड — unitech

CIN: L74899DL1971PLC009720
पंजी. कार्यालयः बेसमेंट, 6, कम्युनिटी सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017
कॉर्पोरेट कार्यालयः 13वां तल, टॉवर–बी, यूनिटैक सिग्नेचर टावर्स, साउथ सिटी–1, गुरूग्राम– 122007 | टेली.: 0124–4726860
ई–मेल: share.dept@unitechgroup.com | वेब: www.unitechgroup.com

55वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

1 एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र () और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र () के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण उत्तरदायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों की 55वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), वित्तीय वर्ष 2025–26 के संबंध में एजीएम नोटिस दिनांक 25 अगस्त, 2026 में यथा निर्धारित बिजनेस के संचालन के लिए, **बृहस्पतिवार, 24 सितंबर, 2026** को **प्रातः 11.00 बजे (भारतीय मानक समय)** वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए आयोजित की जायेगी। वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों के लिए सूचना और अनुदेशों के संबंध में एजीएम नोटिस के नोट्स में उल्लेख किया गया है। अधिनिनियम की धारा 103 के तहत कोरम का पता लगाने के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना की जायेगी।

2 एमसीए और सेबी के परिपत्रों के अनुरूप, 55वीं एजीएम का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, जिनमें वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें साथ में संलग्न किये जाने हेतु अपेक्षित अन्य दस्तावेज कंपनी के उन सभी सदस्यों को ई–मेल से भेज दिये गये हैं जिनके ई–मेल पते **21 अगस्त, 2026** को कंपनी अथवा डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमय बोर्ड (सूचीकरण उत्तर दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(1)(बी) के अनरूप एक पत्र जिसमें वेब लिंक, क्यूआर कोड और वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने का वास्तविक पथ भी उपलब्ध कराया गया है, उन सदस्यों को भेजा गया है जिनके ई–मेल आईडी कंपनी/डिपाजिटरी के पास पंजीकृत नहीं कराए गए हैं।

उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.unitechgroup.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमि. की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com, पर भी उपलब्ध हैं, और वहां से इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। एजीएम का नोटिस नेशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 में उल्लिखित प्रावधानों, इसके अधीन बनाए गए संगत नियमों के साथ पठित, और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण उत्तरदायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को 55वीं एजीएम में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है और बिजनेस को एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई–वोटिंग सेवाओं के जरिए संचालित किया जा सकता है। ई–वोटिंग की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जायेगी। एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्य और जिन्होंने पहले ही रिमोट ई–वोटिंग से अपना वोट नहीं दिया है, एजीएम में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सक्षम होंगे। रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा और एजीएम की तिथि को ई–वोटिंग सिस्टम एनएसडीएल द्वारा www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध कराया जायेगा।

4 रिमोट ई–वोटिंग अथवा एजीएम में ई–वोटिंग से मतदान करने के लिए सदस्यों की पात्रता के निर्धारण हेतु कट–ऑफ तिथि **17 सितंबर, 2026** है। केवल ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपाजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा लेने, वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने और/या एजीएम में ई–वोटिंग करने का हकदार होगा।

5 रिमोट ई–वोटिंग अवधि **सोमवार, 21 सितंबर, 2026 को प्रातः 9.00 बजे (भारतीय मानक समय) आरंभ होगी और बुधवार, 23 सितंबर, 2026 को सायं 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त हो जायेगी**। इस तिथि और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

6 भौतिक रूप में अथवा डीमैटीरियलाइज्ड रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों द्वारा और उन सदस्यों के लिए जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई–मेल पते पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराए हैं, रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में ई–वोटिंग करने का तरीका एजीएम के नोटिस में उपलब्ध कराया गया है।

7 ऐसा कोई व्यक्ति, जो एजीएम के नोटिस के प्रेषण के पश्चात कंपनी के शेयर धारण कर लेता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात **17 सितंबर, 2026** को शेयर धारण कर लेता है, वह एजीएम के नोटिस में यथा वर्णित रिमोट ई–वोटिंग/एजीएम में ई–वोटिंग के लिए समान अनुदेशों का पालन कर सकता है। हालांकि यदि सदस्य पहले से रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह रिमोट ई–वोटिंग के जरिए अथवा एजीएम में ई–वोटिंग करने के लिए मौजूदा लॉगिन आईडी/यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। लॉगिन आईडी/यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में उपलब्ध कराई गई है।

8 जो सदस्य एजीएम से पहले ही रिमोट ई–वोटिंग से अपना वोट दे चुके हैं, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु वे एजीएम में दोबारा वोट देने के हकदार नहीं होंगे।

9 सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने नाम, डाक पता, ई–मेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर में परिवर्तन, यदि कोई है, स्थाई खाता संख्या ('पैन'), नामांकन, बैंक विवरण, जैसे कि बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता नंबर, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड आदि के संबंध में निम्नानुार सूचित करें।
(क) **भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए**: सेबी मास्टर सर्कुलर एचओ/38/13/(4)2026–एमआईआरएसडी–पीओडी/आई/4298/2026 दिनांक 6 फरवरी, 2026 के अनुसरण में कंपनी के आरटीए को, निर्धारित फार्म आईएसआर–1 और अन्य संगत फार्म जो कंपनी की वेबसाइट www.unitechgroup.com पर उपलब्ध हैं।
(ख) **इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के लिए**: अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते का रखरखाव करते हैं।

10 इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग से जुड़ी किसी भी शिकायत अथवा किसी प्रश्न के मामले में आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यूज) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा **022–48867000** पर कॉल करें अथवा सुश्री पल्लवी महात्रे, उप–उपाध्यक्ष को अपना अनुरोध evoting@nsdl.com पर भेजें।

कृते **मैसर्स यूनिटेक लिमिटेड**
हस्ता/-
स्थानः गुरूग्राम — अनुराधा मिश्रा
दिनांकः 31.08.2026 — कंपनी सचिव

(Order 5. Rule 20 of the Code of Civil Procedure)

In The Court of
Sh. Suneet Anand, Civil Judge-03, Room No. 204, South West District, Dwarka Courts, New Delhi.
CASE NO. CS SCJ/1523/25
Leadtime International Freight Solutions Pvt. Ltd.
Vs
Ramkali
To,
Ramkali Proprietor of M/s belong 2 World Registered office **At-**Plot No. 137, 138, 139 North Block, Shop No. 2, Uttam Nagar, Vipin Garden, New Delhi-110059.
The Defendant Above Named.
Whereas plaintiff has instituted the above application, against you for **Suit For Recovery**, of Rs. 1,97,117/-, 151 C.P.C, you are hereby summoned to appear in this court in person or by a pleader on the **05th Day of September, 2026 at 10:00 O'clock,** to answer the same, failing which the suit/application will be disposed of ex parte.
Given under my hand and the seal of the court this. Dated- **18.07.2026.**
Seal Sd/-
Civil Judge-03, South West District, Dwarka Courts, New Delhi.

In The Court of

Sh. Vaibhav Chaurasia, LD JSCC-Cum-ASCJ-Cum Guardian Judge, Court No. 209. District Court, Dwarka, New Delhi.
(Order 5 Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
CS/333/2025
Navneet Singh ...Petitioner
Vs.
Sweta Singh ... Respondents
To,
Mrs. Sweta Singh, W/o Bhavnesh Mahajan, R/o-F-478, First Floor, Vikas Puri, New Delhi-110018.
Also At: Mrs. Sweta Singh TGT (Home Science) GSKV, A-Block Vikaspuri, New Delhi-110018.
The Defendant Above Named.
Whereas you are intentionally avoiding services of summons. It is hereby notified that if you shall not defend the case on the day of **14.09.2026 at 10.00 A.M.** i.e. the day fixed in the matter, it will be heard and determined ex-parte.
Given under my hand and seal of the Court on this **22nd day of August, 2026.**
Seal Sd/-
LD JSCC-Cum-ASCJ-Cum GDN. Judge, District Court, Dwarka, New Delhi.

Public Notice

Be it known to all that my client Sh. Vimal Kumar Jain S/o Sh. Veersen Jain R/o House No. 49/2-D, New No.460, Ground Floor, Halkara Kuan, Jwala Nagar, Shahdara, Delhi-110032, has disowned his son Sh. RAJAT JAIN S/o Sh. Vimal Kumar Jain R/o House No. 49/2-D, New No. 460, Ground Floor, Halkara Kuan, Jwala Nagar, Shahdara, Delhi-110032, and severed all his relations social and financial with them due to their disobedience. He has debarred them from inheriting his properties movable and immovable. He shall not be responsible for any of their acts, deeds and things. Anybody dealing with them shall be doing so at his/her own risk. . Sharad Chandra Gupta, Advocate , Seat No. A-14, S.D.M. Court Compound, Seelampur, Delhi-110053.

वैधानिक सूचनाः पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन में प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के बारे में पूरी तरह उपयुक्त जांच-पड़ताल कर लें। यह समाचार पत्र उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता। समाचार पत्र उपरोक्त विज्ञापनों के बारे में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।